झारखण्ड सरकार
गृह विभाग

संकल्प

राँची, दिनांक 18 फरवरी, 2008 ई०।

विषय — वामपंथी उग्रवादियों के प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास हेतु नयी नीति/योजना की स्वीकृति के संबंध में।

विधि व्यवस्था के क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती वामपंथी उग्रवाद की समस्या है। झारखण्ड राज्य के राँची, गुमला, खूँटी, सिमडेगा, लोहरदगा, पलामू, लातेहार, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, बोकारो, धनबाद, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला-खरसांवा जिले इस समस्या से गंभीर रूप से आक्रांत है। शेष जिलों में भी वामपंथी उग्रवाद अपना पाँव पसार रहा है तथा वहाँ भी उग्रवादी घटनाएँ यदाकदा प्रतिवेदित होती रहती है। झारखण्ड राज्य गठन के पश्चात् इस समस्या को चुनौती के रूप में लिया गया है, जिसमें विशेष सफलताएँ मिली हैं। इससे उग्रवादियों का मनोबल गिरा है। प्राप्त सूचनाओं से यह आभास मिला है कि बहुत से लोग बहकावे में आकर अथवा गलत धारणाओं के अन्तर्गत वामपंथी उग्रवादियों के साथ मिल गए थे, जिन्हें अब अपनी गलती का अहसास हो रहा है तथा वे समाज की मुख्यधारा में मिलने को आतुर हैं। ऐसे तत्वों को एवं उनके परिवार को मुख्यधारा में वापस लाने के उद्देश्य से एक प्रत्यार्पण नीति का निर्धारण विभागीय संकल्प संख्या-932, दिनांक 07.05.2001 एवं 3599, दिनांक 22.12.2001 द्वारा किया गया, परन्तु उक्त प्रत्यार्पण नीति की प्रतिक्रिया उत्साहवर्द्धक नहीं पायी गई और अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए। इस पृष्ठभूमि में इस योजना को और उत्साहवर्द्धक एवं आकर्षक बनाये जाने के लिए सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार पूर्व की नीति के स्थान पर नयी प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास योजना का निरूपण निम्नवत् करती है —

1. उद्देश्य —

वामपंथी उग्रवादियों के प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास की योजना का उद्देश्य है कि (क) वामपंथी उग्रवादियों के प्रत्यार्पण को प्रोत्साहित किया जाय, एवं (ख) प्रत्यार्पण कर चुके उग्रवादियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ते हुए उनके लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाय।

2. परिभाषा —

वामपंथी उग्रवादी का अर्थ है — ऐसे संगठनों के सदस्य, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा भारतीय अपराध (संशोधन) अधिनियम, 1908 की धारा 16 के अंतर्गत अवैधानिक घोषित किया गया है।

(ग.) उसकी सामान्य शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता,

(घ.) पुनर्निवासन हेतु उपलब्ध विकल्पों के संबंध में उसकी प्राथमिकता,

(ड.) प्रस्तावित पुनर्वास पैकेज की सम्भाव्यता (Feasibility)।

6.2 पुनर्वास पैकेज के सूत्रण के क्रम में पुनर्वास समिति द्वारा पेशेवर सहायता एन०जी०ओ० / परामर्शी से प्राप्त की जा सकती है।

6.3 जिला पुनर्वास समिति द्वारा सूत्रण किये गये प्रत्यार्पित उग्रवादीवार निर्दिष्ट पुनर्वास पैकेज को पुलिस महानिदेशक के माध्यम से राज्य सरकार के पास अनुशंसा के साथ भेजा जायेगा।

7. <u>पुनर्वास पैकेज</u> :– पुनर्वास पैकेज के अवयव (component) के रूप में में नीचे अंकित सुविधाओं को सम्मिलित किया जायेगा :–

7.1 पुनर्वास अनुदान रू० 2,50,000 / – (दो लाख पचास हजार) होगा, जिसमें से रू० 50,000 / – (पचास हजार) का भुगतान तत्काल प्रत्यार्पण के उपरांत किया जायेगा तथा शेष रू० 2,00,000 / – (दो लाख) का भुगतान दो बराबर किस्तों में होगा, जिसकी पहली किस्त एक वर्ष बाद तथा दूसरी किस्त दो वर्ष के बाद प्रत्यार्पित उग्रवादी की गतिविधियों की छानबीन विशेष शाखा द्वारा किए जाने के पश्चात देय होगा।

7.2 कार्यशील एवं नियमित आग्नेयास्त्र (Regular), गोला–बारूद के समर्पण के बदले अतिरिक्त भुगतान निम्नरूपेण तालिका के अनुसार किया जायेगा :–

क्र० सं०	आग्नेयास्त्र / विस्फोटकों का प्रकार	पुरस्कार से संबंधित राशि
1.	रॉकेट लांचर / एल०एम०जी०	Rs. 1,00,000
2.	ए०के० 47 / 56 / 74 रायफल / स्नाइपर रायफल	Rs. 75,000
3.	.303 रायफल / पिस्टल / रिवाल्वर	Rs. 15,000
4.	रिमोट कंट्रोल डिवाईसेस	Rs. 6,000
5.	ग्रेनेड / हैण्ड ग्रेनेड	Rs. 2,000
6.	वायरलेस सेट	Rs. 2,000 से Rs.10,000 (रेंज के आधार पर)
7.	आई०ई०डी०	Rs. 6,000
8.	विस्फोटक सामग्री (प्रति कि०ग्रा०)	Rs. 2,000

7.3 पुनर्वास समिति द्वारा रू० 3,000 / – प्रतिमाह की वृत्ति पर एक वर्ष तक के व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी। विशेष परिस्थिति में व्यावसायिक प्रशिक्षण की अवधि एक अतिरिक्त वर्ष तक के लिए विस्तारित की जा सकेगी।

7.4 अधिकतम चार डिसमील जमीन गृह निर्माण हेतु आवंटित किया जाएगा।

7.5 प्रत्यार्पण करने वाले उग्रवादीं को एक आवास निर्माण हेतु अधिकतम रू० 50,000/– (पंचास हजार) की राशि दी जायेगी।

7.6 राज्यान्तर्गत सरकारी चिकित्सा संस्थानों में उग्रवादी एवं उसके परिवार की निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था की जायेगी।

7.7 सरकारी विद्यालयों में उग्रवादी स्वयं एवं उसके पुत्र तथा पुत्रियों को मैट्रिक तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी।

7.8 मुख्यमंत्री कन्यादान योजनान्तर्गत महिला उग्रवादी एवं उग्रवादियों की पुत्रियों के वैवाहिक कार्यक्रम हेतु अनुदान राशि दिया जायेगा।

7.9 यदि प्रत्यार्पण करने वाले उग्रवादी के सिर पर उसके मारे जाने या गिरफ्तार होने पर कोई सरकारी इनाम घोषित हो, तो समर्पण के उपरांत घोषित इनाम की राशि उन्हें ही प्रदान कर दी जायेगी। संगठन के विभिन्न पदाधिकारियों के समर्पण करने पर घोषित इनाम की राशि परिशिष्ट–1 के अनुरूप भुगतान किया जायेगा।

7.10 समर्पण के उपरांत यदि समर्पणकर्त्ता को उग्रवादियों द्वारा मारा जाता है, तो उसके परिवार को सरकारी संकल्प सं० 423, दिनांक 16.02.06 तथा 369 दिनांक 24.01.08 के आलोक में लाभों का भुगतान किया जायेगा, यथा – रू० 1,00,000/– (एक लाख) का अनुदान एवं उसके एक सुयोग्य आश्रित को सरकारी नौकरी दी जायेगी, भले ही मृतक का प्रत्यार्पण के पूर्व आपराधिक इतिहास रहा हो।

7.11 राष्ट्रीय/सहकारी बैंक से स्वनियोजन हेतु रू० 2,00,000/– (दो लाख) तक के लिए ऋण प्राप्ति में सहायता देगी। ऋण से प्राप्त राशि पर देय व्याज के विरूद्ध सरकार 50% की सीमा तक (अधिकतम रू० 50,000 (पचास हजार)) की राशि प्रतिपूर्ति करेगी।

<u>अथवा</u>

शारीरिक मापदण्डों को पूरा करने वाले प्रत्यार्पित उग्रवादियों को पुलिस/गृह रक्षक/विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है। महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक को विशेष परिस्थितियों में निर्धारित शारीरिक मापदण्ड को शिथिल करने की शक्ति होगी।

7.12 राज्य सरकार द्वारा प्रत्यार्पित उग्रवादी को रू० 5,00,000/– (पाँच लाख) की जीवन बीमा करायी जाएगी एवं इसके लिये आवश्यक प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा।

7.13 प्रत्यार्पित उग्रवादी के आश्रितों के लिए भी (परिवार के अधिकतम पाँच सदस्यों के लिए) रू० 1,00,000/– (एक लाख) की समूह जीवन बीमा भी करायी जाएगी।

7.14 प्रत्यार्पित उग्रवादी की संपत्ति को उग्रवादियों द्वारा क्षतिग्रस्त किये जाने की स्थिति में क्षति का आंकलन पुनर्वास समिति द्वारा कर क्षतिपूर्ति की जायेगी।

8. पुनर्वास पैकेज को अंतिम रूप से गृह विभाग, झारखण्ड द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

9. यदि प्रत्यार्पणकर्त्ता कालांतर में पुनः उग्रवादी गतिविधि में संलिप्त हो जाता है तो पुनर्वास पैकेज के अंतर्गत भुगतेय सभी लाभ राज्य सरकार या बैंक (यदि ऋण का भुगतान नहीं किया गया हो) द्वारा स्वतः जप्त कर लिया जायेगा। यदि परोक्ष रूप से भी वे उग्रवादी गतिविधि में संलिप्त पाये जाते हैं, तो सभी लाभ जप्त हो जायेंगे। परोक्ष रूप से उग्रवादी गतिविधि में संलिप्त होने या नहीं होने के बिन्दु पर अंतिम निर्णय राज्य सरकार के स्तर से होगा।

10. <u>न्यायालय संबंधी मामले</u> :–

10.1 प्रत्यार्पित उग्रवादी के विरूद्ध लंबित जघन्य आपराधिक मामलों को विधि के अनुसार निष्पादित किया जायेगा। अन्य अपराधों के लिए समर्पणकर्त्ता को प्ली बारगेनिंग (Plea Bargaining) का विकल्प रहेगा।

10.2 प्रत्यार्पित उग्रवादी को अपना मुकदमा लड़ने के लिए सरकार की ओर से निःशुल्क वकील की व्यवस्था की जाएगी।

10.3 न्यायिक प्रावधान के तहत आवश्यक शर्त पूरा करने की स्थिति में सरकार द्वारा राजसाक्षी (Approver) बनाने/महिला एवं नाबालिग होने की स्थिति में प्रचलित विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

10.4 प्रत्यार्पित उग्रवादी के विरूद्ध लंबित मुकदमा का शीघ्रातिशीघ्र निष्पादन हेतु विशेष न्यायालय (फास्ट ट्रैक कोर्ट) गठित कराया जायेगा।

10.5 प्रत्यार्पित उग्रवादी द्वारा उग्रवादी गतिविधि में सम्मिलित होने के पीछे लंबित भू–विवाद का कारण होने की स्थिति में संबंधित भूमि विवाद मामलों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध न्यायालयों से कराया जायेगा।

11. उपरोक्त कंडिका 7.2 के अनुसार समर्पण किये गये सक्रिय हथियारों, गोला–बारूद, विस्फोटक सामग्री आदि एवं कंडिका 7.9 के अनुसार संबंधित उग्रवादी के सिर पर घोषित सरकारी इनामों को छोड़कर समर्पणकर्त्ता यदि पति एवं पत्नी दोनो हों, तो पुनर्वास पैकेज के अन्तर्गत उन्हें एक यूनिट ही माना जाएगा।

12. राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष इस योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करेगी तथा आवश्यकतानुसार संशोधन करेगी।

3. <u>योग्यता</u> –

3.1 यह योजना केवल उन्हीं उग्रवादियों पर लागू होगी, जिन्हें उग्रवादी संगठन के दस्ते के सदस्य या उसके ऊपर के पदधारक के रूप में विशेष शाखा द्वारा पहचान की गयी हो।

3.2 प्रत्यार्पण करने वाले उग्रवादियों द्वारा संगठन के संबंध में सभी जानकारियों का खुलासा करने/संबंधित अपराधिक मामलों के संबंध में सभी तथ्य उपलब्ध कराने की स्थिति मे ही उन्हें विशेष प्रोत्साहन दिया जायेगा। प्रोत्साहन की राशि सरकार द्वारा अनुमोदित पैकेज के अधीन होगी।

3.3 प्रत्यार्पण पूर्णरूपेण स्वैच्छिक तथा बिना किसी दबाव/उग्रवादी संगठन की प्रेरणा से होना आवश्यक है।

3.4 साधारणतः विशेष शाखा का प्रत्यार्पण संबंधी सभी पहलुओं का सत्यापन ही एक मात्र मानक होगा किन्तु विशेष परिस्थितियों में किसी भी प्रस्ताव के तथ्यों का सत्यापन सरकार अन्य श्रोतों से भी करा सकती है।

4. उग्रवादियों द्वारा प्रत्यार्पण मंत्री/सांसद/विधायक/प्रमण्डलीय आयुक्त/प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/क्षेत्रीय पुलिस उप–महानिरीक्षक/जिला दण्डाधिकारी/पुलिस अधीक्षक अथवा राज्य सरकार द्वारा मनोनित पदाधिकारियों के समक्ष किया जा सकता है। ये पदाधिकारी समर्पणकर्त्ता उग्रवादियों को आवश्यक कानूनी कार्रवाई हेतु निकटवर्त्ती पुलिस स्टेशन या पुनर्वास कैम्प/केन्द्र को सुपुर्द करेंगे जहाँ उनके पुनर्वास योजना का सूत्रण/कार्यान्वयन किया जायेगा।

5. <u>स्क्रीनिंग समिति :–</u>

प्रत्येक उग्रवादी के प्रत्यार्पण को स्वीकार करने के संबंध में निर्णय एक स्क्रीनिंग समिति द्वारा लिया जायेगा इस समिति के अध्यक्ष जिला पुलिस अधीक्षक होंगे एवं अन्य सदस्य के रूप में जिला दण्डाधिकारी तथा अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष शाखा द्वारा एक–एक पदाधिकारी मनोनित किये जायेंगें।

6. <u>पुनर्वास समिति :–</u>

6.1 प्रत्येक जिला में प्रत्यार्पण करने वाले उग्रवादियों के लिए जिला दंडाधिकारी की अध्यक्षता में जिला पुनर्वास समिति गठित होगी, जिसके सदस्य सचिव जिला पुलिस अधीक्षक होंगे तथा उप विकास आयुक्त, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, जिला अग्रणी बैंक पदाधिकारी एवं समादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी सदस्य होंगे। जिला पुनर्वास समिति द्वारा प्रत्येक प्रत्यार्पण कर चुके उग्रवादी के संबंध में निम्नांकित तथ्यों को ध्यान में रखकर पुनर्वास पैकेज तैयार किया जायेगा :–

(क) उग्रवादी की सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि,

(ख.) उम्र,

13. राज्य सरकार में आवश्यकता अनुरूप विशेष परिस्थितियों में उपर्युक्त प्रावधान में संशोधन करने की शक्ति निहित रहेगी।

परिशिष्ट–1

(कंडिका 7.9)

क्रमांक	श्रेणी	संगठन में स्थान	पुरस्कार की राशि
1.	ए.	पोलित ब्यूरो सदस्य/केन्द्रीय कमेटी सदस्य/केन्द्रीय सैन्य आयोग सदस्य	रू० 12,00,000/– (बारह लाख)
2.	बी.	ऑल्टरनेट केन्द्रीय कमेटी	रू० 10,00,000/– (दस लाख)
3.	सी.	रिजनल ब्यूरो सदस्य/स्पेशल एरिया कमेटी सदस्य/राज्य कमेटी सदस्य	रू० 10,00,000/– (दस लाख)
4.	डी.	ऑल्टरनेट स्पेशल एरिया कमेटी सदस्य /राज्य कमेटी सदस्य	रू० 8,00,000/– (आठ लाख)
5.	ई.	रिजनल कमेटी सदस्य	रू० 7,00,000/– (सात लाख)
6.	एफ.	जोनल कमेटी सदस्य	रू० 5,00,000/– (पाँच लाख)
7.	जी.	सब जोनल कमेटी सदस्य	रू० 3,00,000/– (तीन लाख)
8.	एच.	एरिया कमांडर/एल०ओ०सी० सदस्य	रू० 2,00,000/– (दो लाख)
9.	आई.	एल०जी०एस० दस्ता कमाण्डर	रू० 1,00,000/– (एक लाख)
10.	जे.	एल०जी०एस० दस्ता सदस्य	रू० 30,000/– (तीस हजार)

आदेश – आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड गजट में प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
(जे०बी० तुबिद)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–12 विविध (31)–20/2006–...../राँची, दिनांक फरवरी, 2009 ई०।

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–12 विविध (31)–20/2006–694/राँची, दिनांक 18 फरवरी, 2009 ई०।

प्रतिलिपि :– महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/सभी क्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक/सभी उपायुक्त/सभी जिला पुलिस अधीक्षक (वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची सहित), झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.2.09

सरकार के सचिव।

झारखण्ड सरकार
गृह विभाग।

संकल्प

राँची, दि० / /2015 ई०।

विषय :— **वामपंथी उग्रवादियों के सरेन्डर एवं पुनर्वास हेतु नयी नीति/योजना की स्वीकृति के संबंध में।**

वामपंथी उग्रवादियों के प्रत्यार्पण (सरेन्डर) एवं पुनर्वास नीति को उत्साहवर्द्धक एवं आकर्षक बनाये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा सम्यक् समीक्षा की गयी है। समीक्षोपरांत राज्य सरकार द्वारा वामपंथी उग्रवादियों के प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति से संबंधित संकल्प सं०— 694, दिनांक 18.02.2009 की कंडिका (7.1), (7.3), (7.7) एवं (10.2) को निम्नवत् संशोधित किया जाता है—

(i) (7.1) "**नक्सलियों का श्रेणी 'ए' एवं श्रेणी 'बी' में श्रेणीकरण**— 'ए' श्रेणी में जोनल कमाण्डर एवं उसके ऊपर के स्तर के नक्सलियों को रखते हुए पुनर्वास अनुदान रू० 5,00,000/—(पाँच लाख) होगा, जिसमें से रू० 1,00,000/—(एक लाख) का भुगतान तत्काल सरेन्डर के उपरांत किया जायेगा तथा शेष रू० 4,00,000/—(चार लाख) का भुगतान दो बराबर किस्तों में होगा, जिसकी पहली किस्त एक वर्ष बाद तथा दूसरी किस्त 2 वर्ष के बाद सरेन्डरड उग्रवादी की गतिविधियों की छानबीन विशेष शाखा द्वारा किये जाने के पश्चात् देय होगा तथा **श्रेणी 'बी'** में जोनल कमाण्डर से नीचे स्तर के नक्सलियों को रखते हुए पुनर्वास अनुदान रू० 2,50,000/—(दो लाख पचास हजार) जिसमें से पूर्व की तरह रू० 50,000/—(पचास हजार रूपये) मात्र का भुगतान तत्काल सरेन्डर के उपरांत किया जायेगा तथा शेष राशि रु० 2,00,000/— (दो लाख) का भुगतान दो बराबर किस्तों मे होगा, जिसकी पहली किस्त एक वर्ष बाद तथा दूसरी किस्त दो वर्ष के बाद सरेन्डरड उग्रवादियों की गतिविधियों की छानबीन विशेष शाखा द्वारा किये जाने के पश्चात देय होगा।"

(ii) (7.3) "पुनर्वास समिति द्वारा अधिकतम रू० 5,000/— (पाँच हजार रुपये मात्र) प्रतिमाह की वृति पर एक वर्ष तक के व्यवसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी। विशेष परिस्थिति में व्यावसायिक प्रशिक्षण की अवधि एक अतिरिक्त वर्ष तक के लिए विस्तारित की जा सकेगी।"

(iii) (7.7) "आत्मसमर्पित नक्सलियों/उनके बच्चों के स्नातक स्तर तक की शिक्षा में शिक्षण शुल्क (हॉस्टल फीस व अन्य फीस के साथ) के रूप में अधिकतम रू० 25,000/—(पच्चीस हजार रुपये मात्र) वार्षिक का भुगतान किया जायेगा।" यह भुगतान प्रत्येक तिमाही में संबंधित शिक्षण संस्थानों को अग्रिम के रूप में किया जायेगा।

(iv) (10.2) "आत्मसमर्पित नक्सलियों के अच्छे आचरण के आधार पर उनके ऊपर चल रहे मुकदमों की पैरवी हेतु वकीलों पर उनके द्वारा किये जाने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति/व्यय हेतु राशि के भुगतान हेतु पुलिस मुख्यालय, राँची (विशेष शाखा, झारखण्ड एवं अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड के जाँच के आलोक में) द्वारा प्रस्ताव राज्य सरकार (गृह विभाग) को उपलब्ध कराया जायेगा।"

संकल्प निर्गत तिथि से प्रभावी होगा।

आदेश — आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन झारखण्ड गजट के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(एन०एन० पाण्डेय)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक — 18/विविध (31) 20/2006— 1721 / राँची, दिनांक— 20/03/2015 ई०।

प्रतिलिपि — अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि गजट की 200 प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराई जाय।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

C:\Users\a\Desktop\Sanlekh.doc P-2

झारखण्ड सरकार
गृह विभाग।

संकल्प

राँची, दि० 26/03/2015 ई०।

विषय :— वामपंथी उग्रवादियों के प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास हेतु नयी नीति/योजना की स्वीकृति के संबंध में।

राज्य सरकार के संकल्प सं०—694, दिनांक 18.02.2009 द्वारा वामपंथी उग्रवादियों के प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास के संबंध में नीति निर्धारित की गयी है। इसे उत्साहवर्द्धक व आकर्षक बनाये जाने हेतु उग्रवादियों के विरुद्ध उद्घोषित पुरस्कार राशि की समीक्षोपरान्त संकल्प सं० — 694, दिनांक 18.02.2009 की कंडिका— 7.9 के परिशिष्ठ— 1 को निम्नरुपेण प्रतिस्थापित किया जाता है —

परिशिष्ट — I
(कंडिका — 7.9)

क्र०	संगठन में स्थान	पुरस्कार की राशि
1.	केन्द्रीय कमिटी सचिव/पोलित ब्यूरो सदस्य/ स्पेशल एरिया कमिटी सदस्य/रिजनल ब्यूरो सदस्य/CCM/CMC (नया प्रस्ताव)	25,00,000/—
2.	रिजनल कमिटी सदस्य	15,00,000/—
3.	जोनल कमिटी सदस्य	10,00,000/—
4.	सब जोनल कमिटी सदस्य	5,00,000/—
5.	कमांडर (एरिया कमिटि/दस्ता)	2,00,000/—
6.	एल.जी.एस.दस्ता सदस्य दलम/एल.ओ.एस./के.के.सी. सदस्य	1,00,000/—

संकल्प निर्गत तिथि से प्रभावी होगा।

आदेश — आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन झारखण्ड गजट के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
ह०/—
(शेखर जमुआर)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक — 18/आ०सु०(5) —03/2014............................../ राँची, दिनांक— / /2015 ई०।

प्रतिलिपि — अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि गजट की 200 प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराई जाय।

ह०/—
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक — 18/आ०सु०(5) —03/2014............................../ राँची, दिनांक— / /2015 ई०।

प्रतिलिपि — प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक०), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक — 18/आ०सु०(5) —03/2014.........1802/ राँची, दिनांक— 26/03/2015 ई०।

प्रतिलिपि — माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी प्रधान सचिव, झारखण्ड सरकार/महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/सभी क्षेत्रीय पुलिस उप—महानिरीक्षक/सभी उपायुक्त/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी पुलिस अधीक्षक/सभी समादेष्टा/दफ्तरी, गृह विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26.3.15
सरकार के उप सचिव।

C:\Users\a\Desktop\Sanlekh.doc P-4

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।
संकल्प

राँची, दि० 23 /09 /2015 ई०।

विषयः– **वामपंथी उग्रवादियों के प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास हेतु नई नीति/योजना में आंशिक संशोधन के संबंध में।**

राज्य सरकार के संकल्प सं०– 1802, दिनांक 26.03.2015 द्वारा वामपंथी उग्रवादियों के प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास हेतु नई नीति/योजना को निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त वामपंथी उग्रवादियों के उच्च पदस्थ सदस्यों के पुरस्कार राशि में वृद्धि की आवश्यकता के मद्देनजर संकल्प सं०–1802, दिनांक 26.03.2015 की कंडिका–7.9 के परिशिष्ट–1 के क्रमांक–1 को आंशिक रुप से निम्नरुपेण प्रतिस्थापित किया जाता है –

क्र०	संगठन में स्थान	पुरस्कार राशि
1.	केन्द्रीय कमिटी सचिव/पोलित ब्यूरो सदस्य/केन्द्रीय कमिटि सदस्य (CCM) शेष पदों हेतु निर्धारित राशि यथावत रहेगी।	1,00,00,000/–

संकल्प निर्गत तिथि से प्रभावी होगा।

आदेश – आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन झारखण्ड गजट के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(शेखर जमुआर) 23/9/15
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :–18/आ०सु०(5)03/2014 5904 / राँची, दिनांक – 23/09 /2015 ई0।

प्रतिलिपि – अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि गजट की 200 (दो सौ) प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराई जाय।

23/9/15
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :–18/आ०सु०(5)03/2014 5904 / राँची, दिनांक – 23/09 /2015 ई0।

प्रतिलिपि – प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक०), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/9/15
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :–18/आ०सु०(5)03/2014 5904 / राँची, दिनांक – 23 /09 /2015 ई0।

प्रतिलिपि – माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/अपर मुख्य सचिव, मंत्रीमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी प्रधान सचिव, झारखण्ड सरकार/महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक झारखण्ड, राँची/सभी अपर पुलिस महानिदेशक/सभी प्रमण्डीलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/सभी क्षेत्रीय पुलिस उप–महानिरीक्षक/सभी उपायुक्त/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी पुलिस अधीक्षक/सभी समादेष्टा/दफ्तरी, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/9/15
सरकार के उप सचिव।